आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

विविध (खास महल) अपील वाद संख्या–104 / 2023

मो० आलमगीर

बनाम

नसरीन बानो

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
02.05.2023	प्रस्तुत वाद अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक 319 / जि० रा० दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद खास महल के जमीन के लीज से संबंधित है। प्रश्नगत वाद के पोषणीयता के बिन्दु पर वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया की प्रस्तुत वाद बिहार खास महल नीति–2011 की धारा–14 के अंतर्गत दायर है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत वाद में यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर लीजधारी / कब्जाधारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का दखल कब्जा नहीं सौंपा जाता है तो, समाहर्त्ता निष्कासन की कार्रवाई के लिए इस न्यायालय मे वाद दायर करेंगे। परंतु प्रश्नगत वाद को वादी द्वारा	

WEB COPY NOT OFFICIAL

इस न्यायालय में लाया गया है, जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद खास महल के जमीन की लीज से संबंधित है। खास महल नीति–2011 की धारा–14 में अंकित है कि *''किसी लीज को रद्द करते हुए भूमि का पुनर्ग्रहण करने हेतु आदेश पारित होने के उपरान्त समाहर्त्ता द्वारा लीजधारी/कब्जाधारी को लीज भूमि पर से सभी निर्मित संरचनाओं को हटाकर एक माह के अन्दर उसका दखल–कब्जा सौंपने के लिए नोटिस दिया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारित समय–सीमा के अंदर यदि लीजधारी/कब्जाधारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का दखल–कब्ज नहीं सौंपा जाता है, तो समाहर्त्ता निष्कासन (**eviction**) की कार्रवाई के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त के न्यायालय में वाद दायर करेगा।''* जबकि प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में वादी द्वारा लाया गया है एवं वाद का विषय वस्तु भी उपरोक्त से भिन्न है जो इस न्यायालय मे पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर ही खारिज किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL